>

Title: Need to review and restructure the National Crop Insurance Scheme.

श्री गणेश सिंह (सतना): प्राकृतिक आपदाओं के चलते लगातार देश के किसानों की हर साल फसलें खराब होती हैं। किसान सूखा, बाढ़, ओला एवं पाले की मार से परेशान हैं, खेती का धंधा लगातार घाटे का धंधा होता जा रहा है, लागत खर्च दिनोंदिन बढ़ रही है उसके अनुपात में उत्पादन का दाम नहीं मिलता।

प्राकृतिक आपदाओं में देश के अंदर अकेले मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने आर.वी.सी. एक्ट में संशोधन करके अधिकतम सीमा को 40 हजार रुपए करके किसान को राहत देने का ऐतिहासिक कार्य किया है, लेकिन जब तक किसान को इसके नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। 63 वर्षों की आजादी बीत जाने के बाद कृषि प्रधान देश में आज तक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना नये स्वरूप में नही बन पायी है। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में किसान के खेत को इकाई माना जाए तथा इसके प्रीमियम का एक-एक हिस्सा राज्य एवं केन्द्र सरकार वहन करे तथा 1 हिस्सा किसान से लिया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं में फसलों के नुकसान से हो रही अत्यधिक क्षति से किसानों को बचाया जा सके।

इस योजना के अलावा किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरह एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि कार्य हेतु किसानों को देशभर में ऋण दिया जाए तभी किसानों को आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से बचाया जा सकता है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे।